<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>सिविल अपील संख्या – 4575/2021</u>

एसएलपी (सी) सं. 20650/2019 से उत्पन्न

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तम सिंह प्रत्यर्थी (गण)

<u>निर्णय</u>

अनुमति प्रदान की गई।

1. अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय को चुनौती दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश भर्ती के तहत मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति नियमावली, 1974 (बाद में इसे 'नियम' कहा जाता है) के तहत मामाले में प्रत्यर्थी को उसके पिता के मृत्यू के कारण जो अपीलार्थी के साथ कार्यरत था, अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया गया है।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2. प्रत्यर्थी के पिता का पहले ही ट्यूबेल आपरेटर के पद पर चयन के पश्चात नियुक्ती पाने के प्रयास के दौरान अपीलकर्ता–विभाग से एक कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में कहा गया कि प्रत्यर्थी के पिता की चयन प्रक्रिया अस्पष्ट थी और नियमित रिक्ति के खिलाफ थी, जिसके तहत उन्होंने सिंचाई विभाग को सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। प्रत्यर्थी का मामला यह है कि अपीलकर्ताओं ने इस मुद्दे को छह साल से अधिक समय तक चलाया और वास्तविक नियुक्ति 29.01.2003 को हुई। प्रत्यर्थी के पिता ने नियमित वेतनमान के बराबर 13 साल की अवधि के लिए काम करना जारी रखा और जब तक कि दुर्भाग्य से 09.03.2016 को उनका निधन नहीं हो गया तब तक उन्होने अपना पारिश्रमिक लिया।

3. प्रत्यर्थी का मामला यह भी है कि अन्य मामलों में, अपीलकर्ताओं ने बलराम और श्रीमती गीता देवी को नियुक्त किया है, जिनके पिता और पति की क्रमशः अंशकालिक ट्यूबवेल ऑपरेटर्स के रूप में कार्य करते हुए मुत्यू हुई और कई अन्य उम्मीदवारों की मृत्यु हो गई, जिनके अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। प्रत्यर्थी का तर्क है कि उसे प्रत्यर्थी के पिता और अपीलकर्ता–विभाग के बीच पहले की मुकदमेबाजी के कारण संभवतः लाभ से वंचित किया जाने वाला एकमात्र व्यक्ति था।

4. अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि प्रत्यर्थी के पिता को नियमित नहीं किया गया था और केवल 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत पर समान लाभ प्रदान करने से वह नियमित कर्मचारी नहीं बनेगा और इस प्रकार प्रत्यर्थी अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के लाभ का हकदार नहीं है। इस संबंध में प्रश्नगत मामले से ही सबंन्धित

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वाद महाप्रबंधक,उत्तरांचल जल संस्थान बनाम लक्ष्मी देवी और अन्य (2009) 7 एससीसी 205 में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है।

यह नियमों के प्रासंगिक प्रदर्श को पुनः प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी होगा जहां नियम 2 (ए) (iii) निम्नानुसार हैः

"2. परिभाषाएँ –

....

(क) सरकारी कर्मचारी "से उत्तर प्रदेश के मामलों के संबंध में नियोजित एक सरकार कर्मचारी अभिप्रेत है जो –

(i) xxxx

(ii) Xxxxx

(iii) हालांकि नियमित रूप से नियुक्ति नहीं की गई थी, लेकिन इस तरह के रोजगार में नियमित रिक्ति में तीन साल की निरंतर सेवा में रखा गया था।

स्पष्टीकरण–"नियमित रूप से नियुक्त" से सेवा के पद पर भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

5. इस प्रकार प्रत्यर्थी का तर्क है कि चूंकि उसके पिता 3 साल से अधिक समय से निरंतर सेवा में कार्यरत थे, इसलिए उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए और इस प्रकार लाभ प्रत्यर्थी को दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, पूर्वोक्त निर्णय पर अवलंब लेते हुए जहां एक ही नियमों का विश्लेषण किया जाता है, अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता ने यह माँग करते हुए दावा किया कि इस न्यायालय ने

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कहा कि एक व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया है, लेकिन जिसने अन्यथा 3 साल की निरंतर सेवा में नियमित रूप से रखा है और रिक्ति का मतलब यह नहीं हो सकता है कि एक दैनिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले को नियम का लाभ मिलेगा। हालाँकि, हमने ध्यान दिया कि न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों पर विचार किया था जिसमें कहा गया था कि लाभ प्रत्यर्थी को प्राप्त नहीं होगा। नियमित रिक्ति का अर्थ एक रिक्ति से था जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पदों में हुई थी। मृतक कर्मचारी की सेवा को वास्तव में नियमित नहीं किया गया था, हालांकि उन्होंने नियमितीकरण का दावा किया है। तथ्य यह है कि मृत कर्मचारी एक नियमित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे एक नियमित रिक्ति के तहत हैं।

6. हम अन्य बातों के साथ प्रत्यर्थी के विद्वत अधिवक्ता द्वारा अपने सारांश में इंगित एक दिलचस्प पहलू पर ध्यान दे सकते हैं (सामान्यतया अपीलकर्ताओं ने एक प्रारूप दाखिल करके इस न्यायालय की सहायता करना उचित नहीं समझा, जैसा कि अंतिम आदेश के अनुसार निर्देशित किया था, काज लिस्ट मे सूचना के अलावा!)। प्रत्यर्थी ने कहा है कि प्रत्यर्थी के पिता के रोजगार के 13 वर्षों की अवधि के दौरान, उन्हें सिंचाई विभाग से पंचायती राज विभाग में 'ग्राम पंचायत विकास अधिकारी' के रूप में स्थानांतरित किया गया था और इसके विपरीत क्रम में,यानी, उन्हें अपीलकर्ताओं द्वारा 2 या 3 बार स्थानांतरित किया गया था और यहां तक कि 15.10.2015,26.11.2015 और 03.12.2015 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि प्रत्यर्थी के पिता को नियमित कर्मचारी नहीं माना जा रहा था, तो इस तरह के अंतर–विभागीय स्थानांतरण और पुनः स्थानांतरण नहीं हो सकते थे।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इतना ही नहीं, यह तर्क दिया जाता है कि संभवतः ऐसा कोई मामला नहीं होगा जहां किसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तैनात किया गया हो, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है। यह इस तथ्य से अलग है कि प्रत्यर्थी के पिता 2 सरकारी ट्यूबवेल के संचालक थे, जिन्हें एक नियमित ट्यूबवेल ऑपरेटर की नौकरी के बराबर बताया गया था, यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जो किसानों की मांग के तहत कुछ समय तक 8 घंटे से अधिक चला।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वत अधिवक्ता हालांकि यह बताते हुए एक स्पष्टीकरण देते हैं कि इन व्यक्तियों को मूल रूप से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के रूप में तैनात किया विद्वत था और इन्हें बाद में स्थानांतरित किया था और वापस पुनः स्थानांतरित किया गया था और उसी के लिए चुनौती याचिका को यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी बनाम दया राम सरोज और अन्य, (2007) 2 एससीसी 138 में निरस्त कर दिया गया था।

8. यदि हम खण्ड पीठ के आक्षेपित आदेश की ओर मुड़ते हैं, तो उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर ध्यान दिया जो उत्तरांचल जल संस्थान और लक्ष्मी देवी और अन्य, (2009) 7 एससीसी 205 उपरोक्त 1..... के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण के अनुरूप है। हालांकि, इस तर्क को नोट किया जाता है कि प्रत्यर्थी के पिता को एक अंशकालिक ट्यूबवेल ऑपरेटर कहा गया था, लेकिन उनके साथ हमेशा एक नियमित कर्मचारी के रूप में व्यवहार किया गया था। न्यायालय ने पूर्वोक्त उल्लिखित नियम और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया, जिसके लिए आवश्यक है कि पद या सेवा में भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया के साथ एक नियुक्ति किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी के पिता के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मामले में नियुक्ति के आदेश में 1 पवन कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (2010) 18 एडीजे 664 6 को सत्यापन के बाद मानदंडों के अनुसार उसके सभी प्रमाण पत्र की जाँच के पश्चात इसकी शर्तों में अस्पष्ट पाया गया। नियोक्ता के रूप में अपीलकर्ताओं द्वारा चयन की एक पूरी प्रक्रिया आयोजित की गई थी। पहले उदाहरण में, उन्हें संबंधित ट्यूबवेल के कमांड क्षेत्र का निवासी नहीं होने के कारण नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था, लेकिन यह आधार उच्च न्यायालय द्वारा 29.01.2003 के पहले के आदेश द्वारा न्यायिक दृष्टिकोण से अपरिहार्य पाया गया था और फलस्वरूप प्रत्यर्थी के पिता को नियुक्त किया गया था। यह मामले के इन दिए गए तथ्यों में है कि यह पाया गया है कि लाभ नियमों के तहत प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तथ्यों को पर्याप्त पाया है कि प्रत्यर्थी के पिता की नियुक्ति एक नियमित रिक्ति के समान थी और इसीलिए उस पृष्ठभूमि में स्थापना से नियमित वेतनमान की अनुमति दी गई थी और वह इस प्रकार पूर्वोक्त नियमों के मापदंडों को संतुष्ट किया।

9. हम दिए गए तथ्यात्मक परिदृश्य में उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण के साथ पूर्ण रूप से सहमत हैं। हम कह सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं ने उन कारणों के लिए, जो उनके लिए सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हैं, प्रत्यर्थी के पिता को उनके बकाया भुगतान से इनकार करने का प्रयास किया, भले ही नियुक्ति एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से हो। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के पिता को रोजगार से वंचित करने के तरीके के खिलाफ विरोध किया। यही कारण है कि शुरू से ही उन्हें एक नियमित कर्मचारी के लाभ दिए गए थे, जबकि उन्हें एक पार्ट टाइम ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में नामित किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया है कि ये तथ्य बताते हैं कि नियुक्ति नियमित रिक्ति के खिलाफ थी , हालांकि इसे इस तथ्य के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अलावा 'पार्ट टाइम' नियुक्ति के रूप में जारी रखा गया था कि उनके काम के घंटे एक नियमित कर्मचारी के थे जो उन्हें समान काम के लिए समान वेतन दे रहे थे।

10. हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि उनके रोजगार के 13 लंबे वर्षों के दौरान और इससे पहले कि उनके बकाया प्राप्त करने के लिए 6 साल की अवधि के लिए अपीलकर्ताओं से लड़ाई की गई थी, प्रत्यर्थी के पिता को भी एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था, आम तौर पर एक पहलू जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा होगा जिसके पास एक नियमित रोजगार था।सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रत्यर्थी के पिता की एक नियमित नियुक्ति नहीं माना जाता था , विभाग के पास चुनाव कर्तव्यों को निभाने के लिए राज्य चुनाव आयोग को अपनी सेवाओं को स्वयंसेवक बनाने का कोई अवसर नहीं होगा, जो केवल एक सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जा सकता था, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 159 के तहत निर्दिष्ट है ("कुछ अधिकारियों के कर्मचारी चुनाव कार्य के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे")।

11. वर्तमान मामला इस प्रकार एक है जो अपने दिए गए तथ्यात्मक परिदृश्य में अजीब है जिस पर हमने ऊपर चर्चा की है और इस प्रकार सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, यह एक नियमित रिक्ति के खिलाफ नियुक्ति का मामला है। प्रत्यर्थी के पिता को अपीलकर्ताओं के पूर्वोक्त आचरण द्वारा एक नियमित कर्मचारी के रूप में माना जाता था, भले ही उन्हें अंशकालिक ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में बताया गया था।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

12. हम आगे कहना चाहते हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए उदाहरणों में से, कम से कम 2 व्यक्ति, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, एक समान परिदृश्य में कार्यरत थे, बलराम और श्रीमती गीता देवी, जिनके पिता और पति की क्रमशः अंशकालिक ट्यूबवेल ऑपरेटरों के रूप में मृत्यु हुई ।यह काफी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के मृतक पिता के बीच पिछले मुकदमेबाजी से प्रत्यर्थी के खिलाफ भेदभाव है। उसी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है और हम अपीलकर्ता–विभाग को इस तरह से प्रत्यर्थी को परेशान करने की अनुमति नहीं दे सकते।

13. इस प्रकार हमारी राय है कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अपनायी प्रक्रिया कानून के अनुसार है और आक्षेपित आदेश किसी भी हस्तक्षेप के लिए नहीं कहता है।

14. अपील को पूरे तरह से खारिज कर दिया जाता है।

15. आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर प्रत्यर्थी के मामले में आवश्यक आदेश जारी किए जाएं।

[न्यायमूर्ति, संजय किशन कौल]

[न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय]

नई दिल्ली

03 अगस्त, 2021

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।